उत्तरांचल विधान सभा

उत्तरांचल विधान सभा
की कार्यसूची

मंगलवार 04 आषाढ़ शक संवत्, 1925
(दिनांक : 24 जून, 2003)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाहन्

1. अल्प सूचित प्रश्न (देखिए नत्थी "**क**")।

2. अन्य प्रश्न (देखिए नत्थी "**ख**")।

3. मुख्यमंत्री, प्रथम राज्य वित्त आयोग, उत्तरांचल के प्रतिवेदन पर स्पष्टीकारक ज्ञापन सदन के पटल पर रखेंगे।

4. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

5. श्री प्रकाश पन्त, सदस्य, विधान सभा, "जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रोड़ी पाली का उच्चीकरण कर इण्टरमीडिएट की स्वीकृति देने के सम्बन्ध में" श्री हयात सिंह बिष्ट एवं अन्य निवासीगण, जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

6. श्री प्रकाश पन्त, सदस्य, विधान सभा, "जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रोडी पाली के क्षतिग्रस्त भवन के निर्माण के सम्बन्ध में" श्री हयात सिंह बिष्ट एवं अन्य निवासीगण, जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

7. श्री प्रकाश पन्त, सदस्य, विधान सभा, "जनपद पिथौरागढ़ में जूनियर हाईस्कूल नैनी-सैनी का उच्चीकरण कर हाईस्कूल बनाने के सम्बन्ध में" श्री उम्मेद सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

8. श्री कैलाश शर्मा, सदस्य, विधान सभा, "जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड लमगड़ा की पट्टी विशौद में राजकीय चिकित्सालय खुलवाने के सम्बन्ध में" श्री आनन्द सिंह फर्त्याल एवं अन्य निवासीगण, जनपद अल्मोड़ा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

....2/....

9. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

10. नियम 315 के खण्ड (14) व (15) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

11. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

12. आबकारी मंत्री, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

13. आबकारी मंत्री, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करेंगे।

14. उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-315 के खण्ड (23) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
(कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-**(ग)**)

15. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

16. वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदान :-

1- श्रम एवं सेवायोजन मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-16, श्रम एवं रोजगार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 244092 हजार (**चौबीस करोड़ चालीस लाख बानवे हजार**) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(घ)**)

2- परिवहन मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-24, परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 258275 हजार (**पच्चीस करोड़ बयासी लाख पिचहत्तर हजार**) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ङ)**)

3- समाज कल्याण मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-15, कल्याण योजनाओं से सम्बद्ध विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 1501132 हजार (**एक सौ पचास करोड़ ग्यारह लाख बत्तीस हजार**) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(च)**)

....3/....

4- सहकारिता मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-18, सहकारिता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 184318 हजार (**अठारह करोड़ तैंतालीस लाख अठारह हजार**) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(छ)**)

5- पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-28, पशुपालन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 319170 हजार (**इकतीस करोड़ इक्यानवे लाख सत्तर हजार**) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ज)**)

6- उद्योग मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-23, उद्योग विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 896267 हजार (**नवासी करोड़ बासठ लाख सड़सठ हजार**) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(झ)**)

17. निम्नलिखित संकल्पों का प्रस्तुत किया जाना :-

प्रस्तावक का नाम	संकल्प
(क) 1. श्री हरिदास, 2. चौ0 यशवीर सिंह, 3. काजी निजामुद्दीन, 4. श्री प्रेमानन्द महाजन, 5. मो. शहजाद, 6. श्री तसलीम अहमद,	"यह सदन हिमगिरि नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) अध्यादेश, 2003 का अननुमोदन करता है।"
(ख) 1. श्री प्रकाश पन्त, 2. श्री मातबर सिंह कण्डारी, 3. श्री अजय भट्ट, 4. श्री मदन कौशिक, 5. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, 6. श्री हरबंस कपूर, 7. श्रीमती विजय बड़थ्वाल, 8. श्रीमती आशा नौटियाल,	---- तदैव ----
(ग) 1. डा0 नारायण सिंह जन्तवाल।	-----तैदव ----

18. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमगिरि नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय।

19. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमगिरि नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

20. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय।

21. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

22. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय।

23. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

24. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि इक्फाई विश्वविद्यालय (इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेन्शियल ऐनलिस्ट्स ऑफ इण्डिया यूनिवर्सिटी) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय।

25. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि इक्फाई विश्वविद्यालय (इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेन्शियल ऐनलिस्ट्स ऑफ इण्डिया यूनिवर्सिटी) विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

26. नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

आज्ञा से,

देहरादूनः
दिनांक : 24 जून, 2003

(महेश चन्द्र)
सचिव।

उत्तरांचल विधान सभा

द्वितीय सत्र, 2003

का द्वितीय मंगलवार

उत्तरांचल विधान सभा
की कार्यसूची

मंगलवार, 4 आषाढ़, शक संवत्, 1925
(दिनांक : 24 जून, 2003)

नत्थी (क)

अल्पसूचित प्रश्न

श्री मातबर सिंह कण्डारी 7.6.2003 श्री काजी निजामुद्दीन 5.6.2003	**क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार ने पूर्व में 7 राजकीय उद्यानों को किस शर्त पर किस दर से निजी कम्पनी को सौंपा है? क्या पुनः सरकार 71 राजकीय उद्यानों को निजी कम्पनी को सौंपने जा रही है? यदि हाँ, तो निजी कम्पनी को किस शर्त एवं किस दर पर इन राजकीय उद्यानों को सौंपा जा रहा है?	उद्यान

नत्थी (ख)

तारांकित प्रश्न

श्री मदन कौशिक 22.5.2003	*1. **विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त**	
डा0 नारायण सिंह जंतवाल 23.5.2003	*2. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल की झीलों के संरक्षण हेतु केन्द्रीय सरकार से मिलने वाली धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो गयी है? यदि हाँ, तो झीलों के संरक्षण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य किसी एजेन्सी से करवाया जायेगा? यदि हाँ, तो क्या इसमें जन प्रतिनिधियों एवं जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी? यदि हाँ, तो इसका क्या स्वरूप होगा? यदि नहीं, तो क्यों?	तृतीय सोम के तारा. 9 में स्था.
श्री मातबर सिंह कण्डारी 23.5.2003	*3. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में प्रति वर्ष आँधी, तूफान, भू-स्खलन, बर्फ अतिवृष्टि से गिरने वाले पेड़ों के विदोहन के लिए सरकार कोई नीति बनाने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक?	वन
श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी 24.5.2003	*4. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वन पंचायत नियमावली, 2001 को उत्तराखण्ड वनपंचायत सरपंच संगठन द्वारा निरस्त करने की माँग की गई है? यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में उक्त नियमावली में संशोधन करने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	वन
श्री नारायण पाल 28.05.2003 श्री अजय भट्ट 30.5.2003 डा0 नारायण सिंह जंतवाल 31.5.2003	*5. क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2000-2001, 2001-2002 व 2002-2003 के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में कितनी धनराशि भारत सरकार से प्राप्त हुई है? प्राप्त धनराशि में से कितनी खर्च हो गयी है तथा कितनी शेष है? शेष धनराशि को कब तक व्यय कर दिया जायेगा?	ग्राम्य विकास

चौ0 यशवीर सिंह 29.05.2003	*6. क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि उत्तरांचल की नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों द्वारा पेयजल व्यवस्था क्या स्वतंत्र रूप से जल संस्थान द्वारा संचालित की जा रही है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उपरोक्त व्यवस्था पुनः नगर पालिका, नगर पंचायत को वापस दिये जाने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	पेयजल
श्री प्रकाश पंत 4.6.2003	*7 क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि पिथौरागढ़ विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में निर्माणाधीन उन सभी मोटर मार्गों की जिनकी स्वीकृतियाँ मार्च, 2003 से पूर्व जारी की गयी थी का निर्माण कार्य रोक दिया गया है? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं तथा निर्माण कब तक पूर्ण कराया जायेगा?	लोक निर्माण
श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी 4.6.2003	*8. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि केन्द्रीय पंचम वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार वन विभाग में कार्यरत वन दरोगा व उपराजिक पदों पर सेवारत कर्मचारियों को पद से पद की समानता के अनुरूप वेतनमान दिये जाने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	तृतीय मंगल के तारा. 8 में स्था.
डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल 5.6.2003	*9. क्या पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि धार्मिक स्थलों में लगने वाले उच्च शक्ति के ध्वनि विस्तारक यन्त्रों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने हेतु सरकार कोई योजना बना रही है? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?	पर्यावरण

अतारांकित प्रश्न

श्री प्रीतम सिंह पंवार 30.05.2003	1. क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि 769/सूचना/02-03, दिनांक 26.9.2002 जो सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल शासन को सम्बोधित था पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण
श्री प्रीतम सिंह पंवार 30.05.2003	2. क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन ब्रहमखाल-जेमर-जुणगा मोटर मार्ग से अनुसूचित जाति बस्ती जुदारका को जोड़ा जायेगा? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अनुसूचित जाति बस्ती जुदारका के चाता नामे तोक की ज़मीनों का भुगतान काश्तकारों को किया जा चुका है? यदि नहीं, तो क्यों?	ग्राम्य विकास

डा0 नारायण सिंह जंतवाल 29.5.2003	3.	क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि उत्तरांचल में लोक निर्माण विभाग में सन् 1990 से पूर्व कार्यरत डिप्लोमा धारी सात अवर अभियंताओं को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 09.03.1995 के आदेश द्वारा विनियमित करने के निर्देश देने के बावजूद लोक निर्माण विभाग में पद रिक्त होने पर भी आज तक विनियमित नहीं किया गया? क्या सरकार इन सात अवर अभियंताओं को विनियमित करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो विनियमितीकरण की कार्यवाही कब तक पूरी कर ली जायेगी? यदि नही, तो क्यों?	लोक निर्माण
श्री कैलाश शर्मा 29.5.2003	4.	क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के नगर क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत सीवर लाईन द्वितीय जोन के निर्माण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक द्वितीय चरण का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा?	पेयजल
श्री नारायण पाल 30.5.2003	5.	क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सितारगंज, जनपद उधमसिंह नगर में जलापूर्ति संवर्धन एवं सीवरेज की योजनाऐं शासन द्वारा कियान्वित की जा रही हैं? यदि हाँ, तो उनका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो इसके लिए कब तक योजना कियान्वित की जायेगी?	पेयजल
श्री बिशन सिंह चुफाल 30.05.2003	6.	क्या लो0नि0 मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट दूनाकोट मार्ग में जगह-2 डामर उखाड़े जाने के कारण सड़क में गड्ढे बन गये हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार इन गड्ढों को भरकर डामरीकरण करेगीं? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण
चौ0 यशवीर सिंह 30.05.2003	7.	क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री अवगत हैं कि दिल्ली स्थित उत्तरांचल निवास में ठहरने वाले मंत्री, विधायकों एवं सरकारी अधिकारियों के लिए अपर्याप्त है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उपरोक्त हेतु दिल्ली में कोई आवासीय भवन बनाये जाने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	राज्य सम्पत्ति
श्री बलबीर सिंह नेगी 2.6.2003	8.	क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत भटगाँव और लोदस पेयजल योजना सुचारू रूप से चल रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	पेयजल
श्री नारायण पाल 2.6.2003	9.	क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि अस्थायी राजधानी देहरादून में सरकार द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कितने भवन बनाये जाने की योजना प्रस्तावित है? क्या इनमें से कुछ भवन निर्मित हो चुके हैं? यदि हाँ, तो किस-किस श्रेणी के तथा कहाँ-कहाँ?	राज्य सम्पत्ति

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी 3.6.2003	10. क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि विकास खण्ड चौखुटिया (जनपद-अल्मोड़ा) स्थित नागर पेयजल योजना का स्रोत सूखने की स्थिति में हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार नये स्रोत से उक्त योजना को जोड़ने व चौखुटिया क्षेत्र की जनता को नियमित पेयजल उपलब्ध करवाने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	पेयजल
श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी 3.6.2003	11. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि रामनगर (नैनीताल) भतरोंजखान-भिकियासैंण-गनाई-बद्रीनाथ मोटर मार्ग के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण करने हेतु सरकार विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण
श्री नारायण पाल 4.6.2003	12. क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रान्त में कुल कितने पुल ऐसे हैं, जिनमें यात्रियों से यात्री अधिभार लिया जाता है? अब तक पुलों से कितना यात्री अधिभार वसूला जा चुका है तथा कब तक यह अधिभार लिया जाता रहेगा?	लोक निर्माण
श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी 4.6.2003	13. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वन विभाग के अन्तर्गत वन दरोगा एवं उपराजिक पदों से प्रोन्नति का कोई प्रतिशत तय है? यदि हाँ, तो तय प्रतिशत के अनुरूप उक्त पदों से प्रोन्नतियाँ की जाती हैं? यदि नहीं, तो क्यों?	वन
श्री हरबंस कपूर 5.6.2003	14. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि वर्ष 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 में प्रान्तीय खण्ड एवं निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग देहरादून को विभिन्न स्रोतों से रोड कटिंग की कितनी राशि प्राप्त हुई थीं? क्या प्राप्त राशि को संबंधित रोड कटिंग की मरम्मत पर खर्च किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?	लोक निर्माण
डा0 नारायण सिंह जंतवाल 6.6.2003	15. क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य अतिथि गृह नैनीताल क्लब में पेंशनर्स वेलफेयर आर्गेनाइज़ेशन को प्रत्येक माह में एक बार नैनीताल क्लब के लाउंज को इस्तेमाल करने हेतु प्रशासनिक व्यवस्था थी? यदि हाँ, तो वर्तमान में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिये जाने के क्या कारण हैं? क्या सरकार उक्त व्यवस्था को पुनः बहाल करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	राज्य सम्पत्ति
श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत 20.5.2003	16. क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि देहरादून शहर के अजबपुर कलाँ के मध्य रिस्पना नदी के किनारे छोटे-छोटे बच्चों के शव दफनाये जाते थे? यदि हाँ, तो उस क्षेत्र में अवैध रूप से आबादी बसायी जाने के क्या कारण हैं? क्या सरकार शमशान घाट के लिए भूमि की अन्यत्र व्यवस्था करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	नगर विकास

श्री हरबंस कपूर 6.6.2003	17. क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मसूरी देहरा विकास प्राधिकरण द्वारा गुच्चू पानी, देहरादून को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की कोई योजना बनाई गई थीं? यदि हाँ, तो यह योजना कब बनाई गयीं थी तथा इस पर कितना व्यय किया गया है?	**द्वितीय सोम के अता. 18 में स्थानांतरण के फलस्वरूप उत्तरित**
श्री प्रीतम सिंह पंवार 26.5.2003	18. क्या वन मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी मध्ये पर्यटन स्थल ''दयारा'' में पशुओं के चरने से बुग्याल को क्षति पहुँच रही है? यदि हाँ, तो क्या सरकार पशुओं से बुग्याल की सुरक्षा हेतु क्या उपाय कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	**वन**
श्री नारायण पाल 31.5.2003	19. क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार हल्द्वानी में निर्माणाधीन ट्रान्सपोर्ट नगर के विस्तार की कोई योजना बनाई है? यदि हाँ, तो क्या सरकार परिवहन व्यवसाय के सभी वर्गों को नगर सीमा से ट्रान्सपोर्ट नगर में स्थानांतरित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	**नगर विकास**

नत्थी (ग)

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 23 जून, 2003 की बैठक में दिनांक 24 जून, 2003 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :-

जून, 2003

24 मंगलवार

1-अनुदानों पर चर्चा

माननीय श्रम सेवायोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री से सम्बद्ध विभाग-
अनुदान संख्या-16, श्रम और रोजगार से सम्बद्ध विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।

माननीय परिवहन मंत्री से सम्बद्ध विभाग-
अनुदान संख्या-24, परिवहन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।

माननीय समाज कल्याण मंत्री से सम्बद्ध विभाग-
अनुदान संख्या-15, कल्याण योजनाओं से सम्बद्ध विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।

माननीय सहकारिता, पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री से सम्बद्ध विभाग-
अनुदान सख्या-18, सहकारिता विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
अनुदान संख्या-28, पशुपालन सम्बन्धी कार्य विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।

माननीय उद्यान, खादी एवं ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग मंत्री से सम्बद्ध विभाग-
अनुदान संख्या-23, उद्योग विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।

2-विधायी कार्य

(1) हिमगिरि नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण।
(2) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण।
(3) पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण।
(4) इक्फाई विश्वविद्यालय (इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेन्शियल ऐनलिस्ट्स ऑफ इण्डिया यूनिवर्सिटी) विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण।

नत्थी (घ)

वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या : 16-श्रम और रोजगार विभाग
लेखा शीर्षक-(2230-श्रम तथा रोजगार, 4216-आवास पर पूंजीगत व्यय)

प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का प्रारूप
1. श्री प्रकाश पन्त, 2. श्री मातबर सिंह कण्डारी, 3. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, 4. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, 5. श्री कैलाश शर्मा, 6. श्री मदन कौशिक, 7. श्रीमती आशा नौटियाल, 8. श्री हरभजन सिंह चीमा, 9. श्री अजय भट्ट, 10.श्री अनिल नौटियाल, 11.काजी निजामुद्दीन, 12.श्री प्रेमानन्द महाजन, 13.मो0 शहजाद, 14.श्री हरिदास, 15.चौ0 यशवीर सिंह, 16.श्री काशी सिंह ऐरी, 17.श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, 18.डा0 नारायण सिंह जन्तवाल।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

नत्थी (ङ)

वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या : 24-परिवहन विभाग
लेखा शीर्षक-(2041-वाहन कर, 3053-नागर विमानन, 3055-सड़क परिवहन, 3056-अंतर्देशीय जल परिवहन, 5053-नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय)

प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का प्रारूप
1. श्री प्रकाश पंत, 2. श्री मातबर सिंह कण्डारी, 3. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, 4. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, 5. श्री कैलाश शर्मा, 6. श्री मदन कौशिक, 7. श्रीमती विजय बड़थ्वाल, 8. श्रीमती आशा नौटियाल, 9. श्री अजय भट्ट, 10.श्री अनिल नौटियाल, 11.श्री हरबंस कपूर 12.काजी निजामुद्दीन, 13.श्री प्रेमानन्द महाजन, 14.मो0 शहजाद, 15.श्री हरिदास, 16.चौ0 यशवीर सिंह, 17.श्री काशी सिंह ऐरी, 18.श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, 19.डा0 नारायण सिंह जन्तवाल।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

नत्थी (च)

वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या : 15-कल्याण योजनाओं से सम्बद्ध विभाग
लेखा शीर्षक-(2225-अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2250-अन्य सामाजिक सेवायें, 2251-सचिवालय-सामाजिक सेवायें, 4225-अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय)

प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का प्रारूप
1. श्री प्रकाश पन्त, 2. श्री कैलाश शर्मा, 3. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, 4 श्री मदन कौशिक, 5. श्रीमती आशा नौटियाल, 6. श्री हरभजन सिंह चीमा, 7. श्री अजय भट्ट, 8. श्री हरबंस कपूर 9. श्री अनिल नौटियाल, 10.काजी निजामुद्दीन, 11.मो0 शहजाद, 12.श्री तसलीम अहमद, 13.श्री हरिदास, 14.चौ0 यशवीर सिंह, 15.श्री प्रेमानन्द महाजन, 16.श्री काशी सिंह ऐरी, 17.श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, 18. डा0 नारायण सिंह जन्तवाल।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

नत्थी (छ)

वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या : 18-सहकारिता विभाग
लेखा शीर्षक-(2425-सहकारिता, 4425-सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय, 6425-सहकारिता के लिए कर्ज)

प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का प्रारूप
1. श्री प्रीतम सिंह पंवार, 2. श्री प्रकाश पन्त, 3. श्री मातबर सिंह कण्डारी, 4. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, 5. महेन्द्र प्रसाद भट्ट 5. श्री गोविन्द लाल शाह, 6. श्री कैलाश शर्मा, 7. श्री मदन कौशिक, 8. श्रीमती आशा नौटियाल, 9. श्री हरभजन सिंह चीमा, 10.श्री अजय भट्ट, 11.श्री हरबंस कपूर, 12.श्री अनिल नौटियाल, 13.काजी निजामुद्दीन, 14.मो0 शहजाद, 15.श्री तसलीम अहमद, 16.श्री हरिदास, 17.चौ0 यशवीर सिंह, 18श्री प्रेमानन्द महाजन, 19.श्री काशी सिंह ऐरी, 20.श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, 21.डा0 नारायण सिंह जन्तवाल 22. श्री बलवीर सिंह नेगी।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

नत्थी (ज)

वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या : 28-पशुपालन सम्बन्धी कार्य विभाग
लेखा शीर्षक-(2403-पशुपालन, 2404-डेरी विकास, 2405-मछली पालन, 4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय, 4404-डेरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय, 4405-मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय)

प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का प्रारूप
1. श्री प्रकाश पन्त, 2. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, 3. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, 4. श्री मातबर सिंह कण्डारी, 5. श्री मदन कौशिक, 6. श्रीमती आशा नौटियाल, 7. श्री हरभजन सिंह चीमा, 8. श्री हरबंस कपूर, 9. श्री कैलाश शर्मा, 10.श्री अजय भट्ट, 11.श्री अनिल नौटियाल, 13. काजी निजामुद्दीन, 14.मो0 शहजाद, 15.श्री तसलीम अहमद, 16.श्री हरिदास, 17.चौ0 यशवीर सिंह, 18.श्री प्रेमानन्द महाजन, 18.श्री काशी सिंह ऐरी, 19.श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, 20.डा0 नारायण सिंह जन्तवाल, 21श्री बलवीर सिंह नेगी।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

नत्थी (झ)

वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या : 23-उद्योग विभाग
लेखा शीर्षक-(2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण, 2851-ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग, 2852-उद्योग, 2853-अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग, 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय, 4858-इंजिनियरी उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय, 4859-दूरसंचार तथा इलैक्ट्रानिक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय, 4885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय, 5425-अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय)

प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का प्रारूप
1. श्री प्रकाश पन्त, 2. श्री मातबर सिंह कण्डारी, 3. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, 4. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, 5. श्री कैलाश शर्मा, 6. श्री मदन कौशिक, 7. श्रीमती विजय बड़थ्वाल 8. श्रीमती आशा नौटियाल, 9. श्री हरभजन सिंह चीमा 10.श्री अजय भट्ट, 11.श्री हरबंस कपूर, 12.श्री अनिल नौटियाल, 13.काजी निजामुद्दीन, 14.मो0 शहजाद, 15.श्री तसलीम अहमद, 16.श्री हरिदास, 17.चौ0 यशवीर सिंह, 18.श्री प्रेमानन्द महाजन, 19.श्री काशी सिंह ऐरी, 20.श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, 21.डा0 नारायण सिंह जन्तवाल, 22.श्री बलवीर सिंह नेगी।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

उत्तरांचल विधान सभा

नत्थी "ङ"

राष्ट्र–गान

जन–गण–मन–अधिनायक जय हे।

भारत भाग्य विधाता।।

पंजाब सिंध गुजरात मराठा।

द्राविड़ उत्कल बंग।।

विंध्य हिमाचल यमुना–गंगा,

उच्छल जलधि तरंग।।

तव शुभ नामे जागे,

तव शुभ आशिष माँगे।।

गाहे तव जय गाथा।।

जन–गण–मंगलदायक जय हे,

भारत भाग्य विधाता।।

जय हे, जय हे, जय हे,

जय जय जय जय हे।।